



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 25, गुरुवार, शके 1943-अप्रैल 15, 2021
Chaitra 25, Thursday, Saka 1943- April 15, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, 15 अप्रैल, 2021

संख्या प.2(12)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 60-ख का अंतःस्थापन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 60-क के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 8 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"60-ख. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, न्यास के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की तारीख न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, न्यास का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो न्यास, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगा और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निदिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगा और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किये गये न्यास के किसी आदेश की अपील राज्य सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील उस तारीख से, जिसको अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया है, पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पन्द्रह दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था।

(6) उप-धारा (4) के अधीन प्रत्येक अपील राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, निपटायी जायेगी।

(7) किसी भी सिविल न्यायालय को इस धारा के अधीन किसी आदेश, नोटिस, कार्यवाहियों या की गई कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।"

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 90-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 90-क की विद्यमान उप-धारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, न्यास के आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर-भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, या तो अपील को खारिज कर सकेगा या उस आदेश को सम्पूर्णतः या उसके किसी भाग को उलट सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा।

(3) जहां किसी सुधार को सील कर दिया गया हो, वहां न्यास या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) उप-धारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।"

अध्याय 3

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 73-ख का अंतःस्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 73-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 74 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"73-ख. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, नगरपालिका के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के दूर्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगी।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, नगरपालिका का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा, तथ्यों के दुरुपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो नगरपालिका, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगी और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निदिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगी और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किये गये नगरपालिका के किसी आदेश की अपील राज्य सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील उस तारीख से, जिसको अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया है, पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पन्द्रह दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था।

(6) उप-धारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, निपटायी जायेगी।

(7) किसी भी सिविल न्यायालय को इस धारा के अधीन किसी आदेश, नोटिस, कार्यवाहियों या की गई कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (7) में,-

(i) खण्ड (च) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(छ) जहां किसी निर्माण को अभिगृहीत किया गया हो, वहां नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे निर्माण को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस अभिग्रहण को प्रतिसंहत किये जाने का आदेश दे सकेगा।

(ज) कोई भी व्यक्ति ऐसे अभिग्रहण को-

(क) इस उप-धारा के खण्ड (छ) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) इस धारा की उप-धारा (12) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय प्रतिसंहत नहीं करेगा।"

अध्याय 4

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

6. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 34-क का संशोधन.- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 34-क की विद्यमान उप-धारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।"

7. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54-घ का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 54-ग के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"54-घ. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा, तथ्यों के दुरुपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो प्राधिकरण, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगा और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निदिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगा और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगा।"।

अध्याय 5

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 35-क का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 35-क की विद्यमान उप-धारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।"।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में नयी धारा 50-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 50 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"50-क. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति

आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा, तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो प्राधिकरण, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगा और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निर्दिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगा और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगा।"।

अध्याय 6

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन

10. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 35-क का अंतःस्थापन.- अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 35 के पश्चात् और विद्यमान धारा 36 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 35-क अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"35-क. अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, धारा 32 या धारा 33 या धारा 35 के अधीन किसी विकास को हटाने या बंद करने के लिए आदेश देने से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे विकास की प्रकृति और विस्तार के बारे

में किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए ऐसे विकास को विहित रीति से सील किये जाने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।"।

11. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 50-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 50 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"50-क. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के दुर्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा, तथ्यों के दुर्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के

या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो प्राधिकरण, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगा और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निदिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगा और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 15, 2021**

No. F. 2(12)Vidhi/2/2021.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 5):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) ACT, 2021
(Act No. 5 of 2021)**

(Received the assent of the Governor on the 15th day of April, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009 and the Ajmer Development Authority Act, 2013.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

**CHAPTER-II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959**

2. Insertion of new section 60-B, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 60-A and before the existing CHAPTER VIII of the Rajasthan Urban Improvement

Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"60-B. Revocation of allotment and cancellation of lease deed.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, if, at any time, before or after the lease deed, executed and registered, in respect of land disposed of under this Chapter either on lease hold basis or on free hold basis, the Trust has reasons to believe that allotment of land has been obtained, and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, it shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing to show cause why an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land should not be made.

(2) The notice shall-

(a) specify the grounds on which an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are or may be, in occupation of or claim interest in, the land, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same and after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Trust is satisfied that the lease is obtained by misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, the Trust may, make an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land and also make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the land shall be vacated by all persons who are or may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the land.

(4) An appeal shall lie from an order of the Trust made under sub-section (3) to the State Government or the officer authorized by it.

(5) An appeal under sub-section (4) shall be preferred within fifteen days from the date on which the order is communicated to the appellant:

Provided that the State Government or the officer authorized by it may entertain the appeal after the expiry of the said period of fifteen day, if it or he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(6) Every appeal under sub-section (4) shall be disposed of by the State Government or the officer authorized by it as expeditiously as possible.

(7) No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any order, notice, proceedings or action taken under this section."

3. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing sub-sections (2), (3) and (4) of section 90-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal to the State Government or the officer authorized by it against the order within 30 days from the date of the order of the Trust and the State Government or the officer authorized by it, may, after hearing the parties to the appeal either dismiss the appeal or may reverse or vary the whole or any part of the order.

(3) Where any improvement has been sealed, the Trust or the officer authorized by it in this behalf, with prior permission of the State Government or the officer authorized by it in this behalf, may, for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(4) No person shall remove such seal except by,-

- (a) an order passed under sub-section (2); or
- (b) an order passed under sub-section (3)."

CHAPTER-III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

4. Insertion of new section 73-B, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-After the existing section 73-A and before the existing section 74 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"73-B. Revocation of allotment and cancellation of lease deed.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, if, at any time, before or after the lease deed, executed and registered, in respect of land disposed of under this Chapter either on lease hold basis or on free hold basis, the Municipality has reasons to believe that allotment of land has been obtained, and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, it shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing to show cause why an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land should not be made.

(2) The notice shall-

(a) specify the grounds on which an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are or may be, in occupation of or claim interest in, the land, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same and

after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Municipality is satisfied that the lease is obtained by misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, the Municipality may, make an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land and also make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the land shall be vacated by all persons who are or may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the land.

(4) An appeal shall lie from an order of the Municipality made under sub-section (3) to the State Government or the officer authorized by it.

(5) An appeal under sub-section (4) shall be preferred within fifteen days from the date on which the order is communicated to the appellant:

Provided that the State Government or the officer authorized by it may entertain the appeal after the expiry of the said period of fifteen day, if it or he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(6) Every appeal under sub-section (4) shall be disposed of by the State Government or the officer authorized by it as expeditiously as possible.

(7) No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any order, notice, proceedings or action taken under this section."

5. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (7) of section 194 of the principal Act,-

(i) in clause (f), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted; and

(ii) after clause (f), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

"(g) Where any construction has been seized, the Municipality or the officer authorized by it in this behalf, with prior permission of the State Government or the officer authorized by it in this behalf, may, for the purpose of removing or discontinuing such construction, order the seizure to be revoked;

(h) No person shall revoke such seizure except by,-

(a) an order passed under clause (g) of this sub-section; or

(b) an order passed under sub-section (12) of this section."

CHAPTER-IV

AMENDMENT IN THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

6. Amendment of section 34-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing sub-sections (2) and (3) of section 34-A of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Where any development has been sealed, the Authority or the officer authorized by it in this behalf with prior permission of the State Government or the officer authorized by

it in this behalf, may, for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(3) No person shall remove such seal except by,-

- (a) an order passed under sub-section (2); or
- (b) an order of the Tribunal."

7. Insertion of new section 54-D, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 54-C and before the existing CHAPTER-IX of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"54-D. Revocation of allotment and cancellation of lease deed.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, if, at any time, before or after the lease deed, executed and registered, in respect of land disposed of under this Chapter either on lease hold basis or on free hold basis, the Authority has reasons to believe that allotment of land has been obtained, and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, it shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing to show cause why an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land should not be made.

(2) The notice shall-

(a) specify the grounds on which an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are or may be, in occupation of or claim interest in, the land, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same and after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Authority is satisfied that the lease is obtained by misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, the Authority may, make an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land and also make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the land shall be vacated by all persons who are or may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the land."

CHAPTER-V

AMENDMENT IN THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

8. Amendment of section 35-A, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing sub-sections (2) and (3) of section 35-A of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act

No. 2 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Where any development has been sealed, the Authority or the officer authorized by it in this behalf, with prior permission of the State Government or the officer authorized by it in this behalf, may, for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(3) No person shall remove such seal except by,-

- (a) an order passed under sub-section (2); or
- (b) an order of the Tribunal."

9. Insertion of new section 50-A, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- After the existing section 50 and before the existing CHAPTER-IX of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"50-A. Revocation of allotment and cancellation of lease deed.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, if, at any time, before or after the lease deed, executed and registered, in respect of land disposed of under this Chapter either on lease hold basis or on free hold basis, the Authority has reasons to believe that allotment of land has been obtained, and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, it shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing to show cause why an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land should not be made.

(2) The notice shall-

(a) specify the grounds on which an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are or may be, in occupation of or claim interest in, the land, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same and after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Authority is satisfied that the lease is obtained by misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, the Authority may, make an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land and also make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the land shall be vacated by all persons who are or may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the land."

CHAPTER-VI**AMENDMENT IN THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013**

10. Insertion of new section 35-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 35 and before the existing section 36 of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section 35-A shall be inserted, namely:-

"35-A. Power to seal unauthorized Development.- (1) The Authority may, at any time before or after making an order for the removal or discontinuance of any development under section 32 or section 33 or section 35, make an order directing the sealing of such development in the prescribed manner, for the purpose of carrying out the provisions of this Act, or for preventing any dispute as to the nature and extent of such Development.

(2) Where any development has been sealed, the Authority or the officer authorized by it in this behalf, with prior permission of the State Government or the officer authorized by it in this behalf, may, for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(3) No person shall remove such seal except by,-

- (a) an order passed under sub-section (2); or
- (b) an order of the Tribunal.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (3) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees."

11. Insertion of new section 50-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 50 and before the existing CHAPTER-IX of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"50-A. Revocation of allotment and cancellation of lease deed.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, if, at any time, before or after the lease deed, executed and registered, in respect of land disposed of under this Chapter either on lease hold basis or on free hold basis, the Authority has reasons to believe that allotment of land has been obtained, and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, it shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing to show cause why an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land should not be made.

(2) The notice shall-

(a) specify the grounds on which an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are or may be, in occupation of or claim interest in, the land, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same and after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Authority is satisfied that the lease is obtained by misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, the Authority may, make an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land and also make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the land shall be vacated by all persons who are or may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the land."

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।